

श्री के.टी.एस. तुलसी (नाम-निर्देशित): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री वैष्णव परिडा (ओडिशा): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री नरेश गुजराल (पंजाब): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री माजीद मेमन (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती कनक लता सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

श्री गुलाम रसूल बलियावी (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

جناب غلام رسول بلیاوی (بہار): مہودے، میں بھی خود کو اس موضوع کے ساتھ سمبند کرتا ہوں۔

श्री बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (गुजरात): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we all associate ourselves with the mention made by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All who are supporting will be happy if the Kohinoor is brought back. ...*(Interruptions)*... Every Member will be happy if it is brought back. ...*(Interruptions)*... Okay. Now, Shri P.L. Punia.

Need to increase the number of judges and to create All India Judicial Services

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। भारत की न्यायिक व्यवस्था बहुत ही कमजोर हो चुकी है। जजों की कमी और मुकदमों की अधिक संख्या के कारण जजों पर अधिक केस सुनने का भी दबाव है। वे एक केस की सुनवाई में केवल दो मिनट से लेकर 15 मिनट का समय लगाते हैं और उस केस का निपटारा कर देते हैं, जिससे निःसंदेह कानून का फायदा देश के गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 31 में से 6 हाई कोर्ट के 1,056 में से 462 और निचली अदालतों में करीब 20,214 में से 4,600 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। आज 3 करोड़ 7 लाख केस लम्बित हैं, जो वर्ष 2040 तक बढ़कर 15 करोड़ होने का अनुमान है। आज देश के प्रति 10 लाख लोगों पर आवश्यक जजों की संख्या 50 की

जगह मात्र 17 है। ऐसी स्थिति में सभी को शीघ्र न्याय देना एक बड़ी चुनौती बन गई है। न्याय के लिए अदालत की शरण में आया गरीब सालों तक जेल में सड़ता रहता है और उसके परिजन न्याय की आस में ही दम तोड़ देते हैं। इसलिए जजों की नियुक्ति करने के लिए वर्तमान में चल रहे कोलेजियम सिस्टम को समाप्त कर पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 312 के प्रावधानों के अनुसार अखिल भारतीय स्टैंडिंग न्यायिक सेवा की स्थापना की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने भी अखिल भारतीय न्यायाधिक सेवा के गठन की सिफारिश की है। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ भी प्राप्त हो सकेगा एवं न्यायिक सेवा में आरक्षित वर्गों की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा।

अतः मेरा निवेदन है कि देश में जजों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाए, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए, न्यायपालिका में हर स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, जिससे देश को न्यायिक शासन का एक उपयुक्त ढांचा प्रदान किया जा सके और देश के किसी मुख्य न्यायाधीश को इसके लिए प्रधान मंत्री के समक्ष रोना न पड़े।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं इस विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती कनक लता सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री सालिम अंसारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री नरेन्द्र बुढानिया (राजस्थान): महोदय, मैं भी इस विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

कुछ माननीय सदस्य: महोदय, हम भी इस विषय से स्वयं को संबद्ध करते हैं।

Need to rationalise parity between armed forces and bureaucracy

SHRI A.U. SINGH DEO (Odisha): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I have 2-3 points. I will mention them very quickly. The Government has been kind enough to give 'One Rank, One Pension' to the Armed Forces. But, they want respect for their